

फर्म अहकाम

माल्य

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)
बनीम

राजेश कुमार साहू

दमा संख्या / वर्ष (दाका) : _____ 17 / 20 _____

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
11.8.21	<p>वादी के अधिवक्ता ने दाका पेश किया रिपोर्ट सहित। हेतु पेश हुई प्रकरण दर्ज रजिस्ट्रार किता जाके कार्यवाही। अतिवादी की तलबी/ जवाब हेतु पत्रावली दिनांक 31.8.21 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">उपखण्ड अधिकारी चाकसू (जयपुर)</p>	
21/8/21	<p>पत्रावली पेश हुयी RO. सहित/कार्य कन्डोलेस. दिनांक दी गई। पूर्वानुसार पत्रावली दिनांक 16.9.21 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">उपखण्ड अधिकारी चाकसू</p>	
20-9-21	<p>पत्रावली पेश हुयी RO. सहित/कार्य कन्डोलेस. दिनांक दी गई। पूर्वानुसार पत्रावली दिनांक 30.9.21 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">उपखण्ड अधिकारी चाकसू</p>	
26.10.21	<p>पत्रावली आज मजमे ग्राम लोकमदालत में पेश की जायस में पेश हुयी जो डिवाही द्वारा शवाह संख्या 211 ग्राम दुमरी कावास में भपनाम राजेश कुमार की अहकाम होना चाहिए। उक्त शवाह में वासी काणा फवाले-इतुगार गलत है और रखा है जिसे उक्त शवाह में हेतु दावा पेश किया गया जिसे बाबर केम्प के द्वारा तलबी पर चाकसू से रिपोर्ट ली गयी एवं ग्रामी द्वारा दावा पेश रिपोर्ट जो सरपंच ग्राम पंचायत लुधरा तह बिवर्ड, स्वयं ग्रामी का दावा पेश एवं सहताम</p>	<p>21/9/21</p> <p>26/10/2021</p> <p style="text-align: right;">उपखण्ड अधिकारी</p>


क्र. सं.

दिनांक आग्रा या कर्मवाही

आग्रा विस्तृत रूप से

का प्रमाण पत्र, एवं संप्रदाय विद्वान् प्रसिद्ध
 दस्तावेज राजन कार्ड ग्राम पंचायत द्वारा, मुगा
 पह्याग पत्र, आधार कार्ड, जन आधार कार्ड और
 दस्तावेज पेडा डिपे जिनका परीक्षण सिपाज पाले
 वायी का नाम तहसीलदार चाकसू वीरिपो
 कउसार विरासत का नामानुसार खोलकर
 राजेश कुमार गालत के फाइल में जोड़े
 डिपे जोने में कोई मापसिती नहीं है। इस प्रकार
 सरपंच ग्राम पंचायत लुहारा द्वारा खिंडा
 द्वारा जारी प्रमाण पत्रों अंकित किया है कि
 राजेश कुमार व राजेश कुमार दोनों एक ही
 व्यक्ति हैं जिनको मैं व्यक्तिगत रूप से जानती
 हूँ। इस प्रकार प्रसिद्ध दस्तावेज आधार पर
 पह्याग पत्र, जन आधार कार्ड, आधार कार्ड, संप्रदाय
 ग्राम पंचायत लुहारा द्वारा जारी प्रमाण पत्र एवं
 सदस्यता वार का प्रमाण पत्र एवं मजमूआ में
 जानकारी डिपे जोने के कउसार राजेश कुमार
 एवं राजेश कुमार दोनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं
 जो जमाबन्दी सम्वत 2073-2076 के खातासंख्या
 में वायी का नाम उक्त डिपे जना उचित
 समझते हैं।

दाया घायी बिकडे प्रतिवायी डिडी
 डिपे जाकर वाके ग्राम देमली कावास वी
 जमाबन्दी सम्वत 2073-2076 के खातासंख्या
 में अंकित खसरा नम्बर 629, 630, 729, 730,
 731, 732, 739, 773, 774, 779/1005, 780, 781,
 782, 785/1006, किरा 14 रुक्या 6.50 हैं
 वाके ग्राम देमली कावास में वायी का नाम
 राजेश कुमार पुत्र लालचन्द के स्वात पर
 राजेश कुमार उर्फ राजेश कुमार पुत्र लालचन्द
 उक्त डिपे जोने के मोदेश डिपे जाते हैं व इस प्रकार
 राजस्व रिकार्ड में अंकल डिपे जाते हैं। डिपे कउसार
 डिडी जारी हो। निर्णय कीपालता हेतु तहसीलदार
 को लिखा जावे। पत्रावली वादत कमील दाखिल
 यमरर हो।


 शिविर प्रभारी
 उपखण्ड अधिकारी
 चाकसू (जयपुर)